# HRA LINA The Gazette of India

## असाधारण

## EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खल्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

Ħ. 288] No. 288] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 19, 2007/फाल्गुन 28, 1928

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 19, 2007/PHALGUNA 28, 1928

# विद्युत पंत्रालय

# अधिसृचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2007

का,आ. 394(अ)—केन्द्रीय सरकार, कर्जा कार्यकुरालता ब्यूरो से परामर्श करके, खपत की गई कर्जा की सघनता या परिमाण कर्जा दक्षता उपकरण के परिवर्तन के लिए अपेक्षित विनिधान की रकम तथा उद्योग द्वारा अपेक्षित इसमें विनिधान करने के लिए उद्योग की क्षमता तथा कर्जा दक्ष मशीनरी और उपकरण की उपलब्धता के संबंध में यह समाधान हो गया है कि कर्जा के कुछ उपयोक्ता या उपयोक्ताओं के बर्ग को अभिहित उपभोक्ता के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए;

कर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की अनूसूची कृतिपय सचन कर्जा उद्योग और अन्य स्थापनों को अभिहित उपभोक्ता के रूप में विनिर्दिष्ट करता है;

और केन्द्रीय सरकार, यह विचार करती है कि यह उपबंध करना आवश्यक है कि केवल संघन कर्जा उद्योग और अन्य स्थापन विनका केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर प्रत्येक उद्योग या स्थापन के सामने यथा उपदर्शित वार्षिक कर्जा खपत है, अभिहित उपभोक्ताओं के रूप में अधिसृत्रित किए जाएं।

अतः, इसलिए केन्द्रीय सरकार, कर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 14 के खंड (ङ) और (च) द्वारा प्रदक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्जा दक्षता क्यूरों से परामर्श करके, उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट अन्य सधन कर्जा उद्योग और स्थापन की सूची में परिवर्तन करती है, अर्थात्:—

- तापीय विद्युत केन्द्र—तेल समतुल्य का 30,000 मीट्रिक टन (एनटीओई) प्रति वर्ष और अधिक
- खाद—तेल समतुल्य का 30,000 मीट्रिक टन (एमटीओई) प्रति वर्ष और अधिक
- सीमेंट—तेल समतुल्य का 30,000 भीट्रिक टन (एमटीओई) प्रति वर्ष और अधिक
- लोहा और इस्पात—तेल समतुल्य का 30,000 मीट्रिक टन (एमटीओई) प्रति वर्ष और अधिक
- क्लोर—अल्कली तेल समतुल्य का 12,000 मीट्रिक टल (एमटीओई) प्रति वर्ष और अधिक
- एल्युमिनियम—तेल समतुल्य का 7,500 मीट्रिक टन (एमटीओई) प्रति वर्ष और अधिक
- ₹ल-
- (क) प्रत्येक जोनल रेल के विद्युत कर्षण उप केन्द्र (टीएसएस) में अधिकतम कर्जा उपभोग नीचे दी गई सारणी के अनुसार होगा-

### सारणी

रेल जॉन	टीएसएस की सूर्ची	
(1)	.(2)	
मध्य रेल	ষর্ঘ	
पूर्व रेल	<b>ਟੀ</b> ਟਾਜਫ਼	
पूर्व मध्य रेल	कोड्रमा	
पूर्व तटीय रेल	सिंहाचलम उत्तर	
उत्तर रेल	नरेला	

(1)	(2)
उत्तर मध्य रेल	मथुरा
दक्षिण रेल	अवाडी
दक्षिण मध्य रेल	कृष्णा केनाल
दक्षिण पूर्व रेल	. बालीचक
दक्षिण पश्चिम रेल	वागारपेट
दक्षिण पूर्व भध्य रेल	विलासपुर -
पश्चिम रेल	माकरपुर
पश्चिम मध्य रेल	बीना

(ख) प्रत्येक जोनल रेल में डीजल लोको शेंड नीचे दी गई सारणी के अनुसार दिया गया है:—

# सारणी

रेल जोन	लोंको शेड
(1)	(2)
मध्यं रेल	कल्यान
पूर्व रेल	उंडाल
पूर्व मध्य रेल	पटरांटू
पूर्व तटीय रेल	विशाखापटनम
उत्तर रेल	लुधियाना
उत्तर मध्य रेल	इसंसी
उत्तर पूर्व रेल	गोंडा
उत्तर पूर्व सीमोत्तर रेल	न्यू गुवाहाटी
उत्तर पश्चिम रेल	अबु रोड
दक्षिण रेल	ईरोड
दक्षिण मध्य रेल	काजीपेठ
दक्षिण पूर्व रेल	खड़गपुर
दक्षिण पूर्व मध्य रेल	रायपुर
दक्षिण पश्चिम रेल	हुबली
पश्चिम रेल	वतवा
पश्चिम मध्य रेल	न्यू कटनी जंक्शन

- (ग) सभी छह उत्पादन इकाईयां जैसे-इंटीगरल कोच फैक्टरी (आईसीएफ), रेल कोच फैक्टरी (आरसीएफ), चितरंजन लाकोमोटिव वक्स (सीएलडब्ल्यू), डीजल लोकोमोटिव वर्क्स (डीएलडब्ल्यू), डीजल कपोनेंट वर्क्स (डीसीडब्ल्यू) और रेल क्हील फैक्टरी (आरडब्ल्यूएफ);
- (घ) भारतीय रेल की कार्यशालाओं जिनका का कुल वार्षिक कर्जा उपयोग 30,000 एमटीओई या अधिक है।
- कपड़ा—तेल समतुल्य के 3000 मीट्रिक टन (एमटीओई)
   प्रतिवर्ष और अधिक
- लुगदी और कागज—तेल समतुल्य के 30,000 मीट्रिक टन (एमटीओई) प्रति वर्ष और अधिक

टिप्पण : 1. तेल समतुल्य मीट्रिक टन के निबन्धनों के अनुसार वार्षिक कर्जा खपत परिकलित करने के लिए नीचे सारणी में दिए गए कर्जा संपरिवर्तन मूल्यों का उपयोग किया जाएगा।

	•

सारणी		
1 कि वा. घं	860 किलोकेलोरी (कि.कैलो.)	
1 कि.ग्रा. कोयला/कोक	प्रदायकर्ता का (कोयला कंपनी के)	
*	नवीनतम प्रमाण पत्र के अनुसार कुल	
	कैलोरीफिक मूल्य	
। कि.ग्रा. चारकोल	6,900 कि. कैलो. या प्रदायकर्ता के	
	नवीनतम प्रमाण पत्र के अनुसार	
। कि.ग्रा. भट्टी तेल/अवशिष्ट	10,050 कि.कैलो ( धनत्व = 0.9337	
ईंधन तेल/निम्ट सल्फर	कि.ग्रा/ लीटर) या	
भारी स्टाक/नेपथा	प्रदायकर्ता के नवीनतम प्रमाणपत्र के	
	अनुसार	
। कि.ग्रा. उच्च स्पीड डीजल	!!,840 कि. <b>कै</b> लो. (घनत्व=0.8263	
	कि.ग्रा./लीटर) या प्रदायकर्ता के	
	नवीनतम प्रमाणपत्र के अनुसार	
१ कि.ग्रा. पैट्रोल	11200 कि. कैलो. (घनत्व =	
,	0.7087 कि.ग्रा./लीटर) या प्रदायकर्ता	
	के नवीनतम प्रमाणपत्र के अनुसार	
। कि.ग्रा. किरासीन	11,110 कि. कैलो. (एसकेओ का	
,	घनत्व = 0.7782 कि.ग्रा./लीटर) या	
	प्रदायकर्ता के नवीनतम प्रमाणपत्र के	
	अनुसार	
<ol> <li>कि.ग्रा तरलीकृत पैट्रोलियन</li> </ol>	12,500 कि. कैलो. या प्रदायकर्ता के	
गैस	नवीनतम प्रमाणपत्र के अनुसार	
1 एम <sup>3</sup> प्राकृतिक गैस	8,000—10,500 कि कैलो.	
	(प्रदायकर्ता के नवीनतम प्रमाणपत्र	
	के अनुसार वास्तविक कैलोरीफिक	
	मूल्य पर विचार किया जाएगा)	
	प्रदायकर्ता द्वारा प्रमाणपत्र जारी न	

ईंधन के रूप में प्रयोग किए अन्य ईंधन या अपशिष्ट समग्री या उपोत्पाद । परीक्षण के लिए राष्ट्रीय प्रत्यान बोर्ड गए और व्यासमापन प्रयोग-शाला प्रत्यायन प्रयोगशाला या केन्द्रीय सरकार प्रयोगशाला या राज्य सरकार प्रयोगशाला या सरकार द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला के प्रमाणपत्र के अनुसार सकल कैलोरिफिक मूल्य, परन्तु कैलनेरिफिक मूल्य के निर्धारण के लिए ईंधन का नमूना भी संबद्ध प्रयोगशाला द्वारा लिया गया हो।

किए जाने की दशा में 8,000—10,500 कि. कैलो/एम³ के औसत पर विचार

किया जाएगा ।

इस सारणी के प्रयोजन के लिए—(i) तेल समतुल्य का 1 कि.ग्रा. : 10.000 कि.कैलो.

- (ii) तेल समतुल्य का 1 मीट्रिक टन (एमटीओई) : 10 × 10° कि.कैलों.
- (iii) कोयला, पैट्रोलियम उत्पादों और अन्य ईंधनों की दशा में, प्रदायकर्ता के प्रमाणपत्र की अनुपस्थिति में (प्रदायकर्ता द्वारा इसके जारी न किए जाने के कारण), उपयुंक्त ईंधन का सकल कैलोरिफिक मूल्य परीक्षण राष्ट्रीय प्रत्यामन बोर्ड और व्यासमापन प्रयोगशाला या प्रत्यायन प्रयोगशाला या केन्द्रीय सरकार प्रयोगशाला या राज्य सरकार प्रयोगशाला या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला से परीक्षण प्रमाणपत्र के अनुसार विचार किया जाएगा । परंतु कैलौरिफिक मूल्य के निर्धारण के लिए ईंधन का नमूना संबद्ध प्रयोगशाला द्वारा लिया गया हो ।

टिप्पण:2 अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट कर्जा सघन उद्योग या किसी स्थापना की घोषणा के लिए वार्षिक कर्जा उपभोग की सीमा को तेल समतुल्य मीट्रिक टन के निर्वधनों में इस अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से प्रत्येक तीन वर्ष में पुनर्विलोकित किया जाएगा।

टिप्पण:3 इस अनुसूची में डिल्लिखित उपबंध रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, आंतरिक सुरक्षा से संबंधित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग या उन मंत्रालयों या विभागों के नियंत्रणा-धीन उपक्रमों, या बोर्ड या संस्थाओं पर लागू नहीं होंगे।

[फा. सं. 10/13/2002-ई.एन.]

हरीश चंद्र, संयुक्त सचिव

# MINISTRY OF POWER NOTIFICATION

New Delhi, the 12th March, 2007

S.O. 394 (E).—Whereas the Central Government, in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, having regard to the intensity or quantity of energy consumed and the amount of investment required for switching over to energy efficient equipment and capacity of industry to invest in it and availability of the energy efficient machinery and equipment required by the industry, is satisfied that some user or class of users of energy may be specified as designated consumer;

And whereas, the Schedule to the Energy conservation Act, 2001 (52 of 2001), specifies certain energy Intensive Industries and other establishments as designated consumers;

And whereas, the Central Government considers it necessary to provide that only those energy intensive industries and other establishments having annual energy Consumption as indicated against each industry or establishment by the Central Government from time to time, shall be notified as designated consumers;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the clauses (e) and (f) of Section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (herein referred to as the said Act), the Central Government, in consulation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby alters the list of Energy Intensive Industries and other establishments specified in the Schedule to the said Act, namely:—

- Thermal Power Stations-30,000 metric tonne of oil equivalent (MTOE) per year and above
- Fertilizer-30,000 metric tonne of oil equivalent.
   (MTOE) per year and above
- Cement-30,000 metric tonne of oil equivalent (MTOE) per year and above
- Iron and Steel-30,000 metric tonne of oil equivalent (MTOE) per year and above
- Chlor-Alkali-12,000 metric tonne of oil equivalent (MTOE) per year and above
- Aluminium-7,500 metric tonne of oil equivalent (MTOE) per year and above
- 7. Railways-
  - (a) the electric traction Sub-section (TSS) in each Zonal Railway having maximum energy consumption as per the table given below:—

TABLE

Railway Zone	List of TSS
Central Railway	Wardha
Eastern Railway	Titagarh
East Central Railway	Koderma
East Coast Railway	Simhachalam North
Northern Railway	Narcla
North Central Railway	Mathura
Southern Railway	Avadi
South Central Railway	Krishna Canal
South Eastern Railway	Balicbak
South Western Railway	Bangarapet
South East Central Railway	Bilaspur
Western Railway	Makarpur
West Central Railway	Bina

(b) the diesel loco shed in each Zonal Railway as per table given below:—

TABLE

Railway Zone	Loco Shed	
(1)	(2)	
Central Railway	Kalyan	
Eastern Railway	Undal	
East Central Railway	Patratu	
East Coast Railway	Vishakhapatnam	

(1)	(2)	1 M <sup>3</sup> Natural Gas	8,000-10,500 kcal (Artual calor) k
Northern Railway	Ludhiana		value as per supplier latest la certificate will be considered ln.
North Central Railway	Jhansi	44.7	case of non-issue of cern cation
North Eastern Railway	Gonda		by the supplier, average of the
Northeast Frontier Railway	New Guwahati		range 8000-10,500 kcal/M3 will be
North Western Railway	Abu Raod		considered).
Southern Railway	Erode	Other Fuels or waste	Gross Calorific value as per the
South Central Railway	Kazipeth	material or by product	certificate from a National
South Eastern Railway	Kharagpur	400 mm and 40 mm and 40 mm	Accreditation Board for Testing
South East Central Railway	Raipur		and Calibration Laboratories (NABL) accredited laboratory or
South Western Railway	Hubli		Central Government laboratory or
Western Railway		State Government laboratory or	
West Central Railway	New Katni Jn.		Government approved laboratory
(c) all six production Factory (ICF), R Chittaranjan Lo	aunits i.e. Integral Coach ail Coach Factory (RCF), comotive Works (CLW), ve Works (DLW), Diesel		provided the fuel sampling for assessing the calorific value has also been carried out by the concerned laboratory.

For the purpose of this table,-(i) 1 kg. of Oil Equivalent: 10,000 kcal

- (ii) 1 Metric Tonne of Oil Equivalent (MTOE):  $10 \times 10^6$  kcal
- (iii) In case of coal, petroleum products and other fuels, in absence of the supplier's certificate (due to its non-issue by the supplier), the gross calorific value of the above fuels will be considered as per the Test Certificate from a National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) Accredited Laboratory or Central Government Laboratory or State Government Laboratory or Government recognized Laboratory provided the fuel sampling for assessing the calorific value has also been carried out by the concerned Labourtory.
- Note: 2 For the purpose of declaring energy intensive industry or any other establishment specified in the Schedule to the Act, the limit of annual energy consumption in terms of metric tonne of oil equivalent shall be reviewed every three years with effect from the date of publication of this notification.
- Note: 3 The provisions mentioned in this Schedule shall not be applicable to the Ministry or the Department of the Central Government dealing with Defence, Atomic Energy, Space, Internal Security or Undertakings or Boards or Institutions under the control of such Ministries or Departments.

[F.No. 10/13/2002-EM]

HARISH CHANDRA, Jt. Secy.

- Diesel Locomotive Works (DLW), Diesel Component Works (DCW) and Rail Wheel Factory (RWF);
- (d) workshops on Indian Railways having total annual energy consumption of 30,000 MTOE or more.
- Textile-3,000 metric tonne of oil equivalent. (MTOE) per year and above
- 9. Pulp and Paper-30,000 metric tonne of oil equivalent (MTOE) per year and above

Note: I' The energy conversion value given in the table below shall be used for working out annual energy consumption in terms of metric tonne of oil equivalent.

### TABLE

1kwh	860 kilocalories (kcal)
1 kg. Coal/Coke	Gross Calorific Value as per supplier's (coal company's) latest certificate
1 kg. Charcoal	6,900 kcal or as per supplier's lates certificate
1 kg. Furnace Oil/	10,050 kcal (density=0.9337 kg/
Residual Fuel Oil/Low Sulphur Heavy Stock- NAPTHA	litre) or as per supplier's latest certificate
1 kg. High Speed Diesel	11,840 kcal (density=0.8263 kg/ litre) or as per supplier's latest certificate
1 kg. Petroi	11,200 kcal (density=0.7087 kg/ litre) or as per supplier's latest certificate
1 kg. Kerosene	11,110 kcal (density of SKO=0.7782 kg/ litre) or as per suplier's latest certificate
1 kg. Liquefied	12,500 kcal or as per supplier's
Petroleum Gas	latest certificate